प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 11.03.2025

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा लूट/छिनैती/चोरी की घटना को कारित करने वाले 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, दो जिन्दा व दो खोखा कारतूस, चोरी की एक मोटर साईकिल, चोरी के 2350/- रूपये बरामद

दिनांक 10.03.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल बिना नम्बर अपाचे ग्रे रंग पर सवार दो बदमाशो को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नही रूके तथा बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्तगणों पर फायरिंग की गयी जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया तथा घायल अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी गाली नं0 10 के पीछे खेत भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल निवासी बिजली घर निवाड़ी रोड़ मोदी नगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को मौके पर ही चोरी/लूट के रूपये एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया गया एवं दूसरा अभियुक्त मौके से भाग गया । घायल अभियुक्त विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तः -

विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी गाली नं0 10 के पीछे खेत भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल निवासी बिजली घर निवाड़ी रोड़ मोदी नगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं तथा मेरा साथी हम दोनो रात में बन्द दुकान एवं घरो में उनके ताले तोड़ कर एवं राहगीर से चोरी/लूट की घटना कारित करते है तथा जो भी रूपये सामान आदि मिलते है उसे हम दोनो आपस में बांट लेते है। आज भी हम दोनो किसी घटना की फिराक में घूम रहे थे । कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया ।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की एक मोटरसाइकिल
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस , 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 2350/- रूपये चोरी के बरामद ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त **विशाल** उपरोक्त पर - 04 अभियोग चोरी, छिनैती /बरामदगी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद पर , 04 अभियोग चोरी, छिनैती /बरामदगी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पर कुल **08 अभियोग** पंजीकृत है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुसि टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना साइबर क्राइम द्वारा इन्श्योरेन्स कम्पनियों की एप में छेड़छाड़ कर कूटरचित इन्श्योरेन्स पॉलिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 04 सदस्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन बरामद।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा इन्श्योरेन्स कम्पनियों की पालिसी बनाने वाले मोबाइल एप में छेड़छाड़ कर कूटरचित इन्श्योरेन्स पालिसी बनाकर साइबर अपराध करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त विकास कश्यप पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश, आकाश सिसौदिया पुत्र स्व0 भीम सिंह, याकूब पुत्र लियाकत, आरिम अली पुत्र कमरुल हसन को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.03.2025 को श्री संजय ठाकुर ICICI Lombard General Insurance के Vice President द्वारा गाजियाबाद के पालिसी एजेन्ट द्वारा उनकी कम्पनी के इन्श्योरेन्स एप में छेड़छाड़ कर वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों को दोपहिया वाहन दिखाकर फर्जी इन्श्योरेन्स पालिसी तैयार करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त विकास कश्यप जो कि ICICI Lombard General Insurance में इन्श्योरेन्स पालिसी एजेन्ट है, ने बताया कि पुराने वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों के स्वामी द्वारा इन वाहनों का थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स ही कराया जाता है। इन इन्श्योरेन्स पालिसी का एक्सीडेन्ट होने पर थर्ड पार्टी क्लेम न्यायालय से लेने के अलावा अन्य कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वजह से इस पालिसी में छेड़छाड़ कर कम मूल्य की थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पालिसी जनरेट करने पर उसका सत्यापन नहीं किया जाता है तथा कम मूल्य की जनरेटेड पालिसी आनलाइन वाहन के इन्श्योरेन्स होने की जरूरत को पूरी कर देता है। पालिसी धारक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उसकी पालिसी कूटरचित है। पुलिस/आरटीओ चेकिंग के दौरान चालान एप पर भी केवल वाहन की बीमा की वैधता प्रदर्शित होती है, पालिसी की विस्तृत डिटेल प्रदर्शित नहीं होती। इसी बात का फायदा उठाकर अभियुक्त गण विकास कश्यप पुत्र बुद्ध प्रकाश, आकाश सिसौदिया पुत्र स्व0 भीम सिंह, याकूब पुत्र लियाकत, आरिम अली पुत्र कमरुल हसन आरटीओ आफिस के एजेन्टों के माध्यम से वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों के वाहन स्वामी से इन पुराने वाहनों के थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स कराने के लिये डिटेल प्राप्त कर ICICI Lombard General Insurance के इन्श्योरेन्स पालिसी जनरेट करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन में छेड़छाड़ कर वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों, माल वाहक वाहनों का थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स कम मूल्य के दोपहिया वाहन के रूप में करते थे। ये लोग कम मूल्य के कूटरचित दोपहिया वाहन के रूप में बनाई थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पालिसी की जगह पुन: कम्प्यूटर से उसी वाहन की वास्तविक पालिसी मूल्य की कूटरचित पालिसी तैयार कर वाहन स्वामी को दे देते थे। इस प्रकार ये लोग प्रति वाहन करीब 12 हजार से 14 हजार रुपये बचा कर आपस में बाँट लेते थे।

इस गैंग के द्वारा पूरे भारत में 12,000 से भी अधिक इन्श्योरेन्स पालिसियों में छेड़छाड़ कर कूटरचित पालिसी बनाने का कृत्य अब तक प्रकाश में आ चुका है। गाजियाबाद के 61 वाहनों की कूटरचित पालिसी के बारे में जानकारी हुई है। अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा ICICI Lombard General Insurance के अलावा Chola Mandalam insurance Company की भी कूटरचित पालिसी तैयार की थी। Chola Mandalam insurance कम्पनी के अधिकारियों से सम्पर्क कर डाटा प्राप्त कर कार्यवाही करने का प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्त विकास कश्यप पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश, आकाश सिसौदिया पुत्र स्व0 भीम सिंह को दिनांक 09.03.2025 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं अभियुक्त याकूब पुत्र लियाकत, आरिम अली पुत्र कमरुल हसन को दिनांक 10.03.2025 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास कश्यप पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश निवासी म0नं0 67 रिछपाल पुरी थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष शिक्षा – 9 वीं।
2. आकाश सिसौदिया पुत्र स्वा0 भीम सिंह निवासी ग्राम पारपा थाना धौलाना जनपद हापुड हाल पता मं0नं0 70 रिचपाल पुरी थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष शिक्षा – 12 वीं।
3. याकूब पुत्र लियाकत नि0 चक्कर की मिलक, गली नं0 02, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद उम्र 35 वर्ष शिक्षा – 9 वीं।
4. आरिम अली पुत्र कमरुल हसन नि0 चक्कर की मिलक, गली नं0 02, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद उम्र 22 वर्ष शिक्षा – B. Pharma।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान 01 लकडी का लॉकर बॉक्स जिसमे पीली धातु के आभूषण 01 हार, 01 माथे का टीका, 01 मंगल सूत्र , 01 नाक की नथ, 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 जोडी कानों की झुमकी, 02 नाक के फूल व सफेद धातु के आभूषण 01 कमरबंद (तगडी), 01 जोडी पायल, 01 जोडी हथफूल, 01 चॉद, 06 जोडी बिछुए बरामद

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 07.03.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महन्त लाल निवासी ए 212 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 25.02.2025 को जब में अपने घर पर आया तो देखा कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर से लकड़ी का बना लॉकर बॉक्स जिसमें नगदी व सोने व चादी के आभूषण थे को चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10.03.2025 उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त फैसल पुत्र इरशाद निवासी ई-48/148 एमसीडी स्कूल के पीछे झुग्गी झोपडी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी, शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष को मूवी पैलेस रोड चौकी क्षेत्र शहीदनगर थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। चोरी किया हुआ सामान अभियुक्त फैसल की निशानदेही पर उसी के घर से 01 लकडी का लॉकर बॉक्स जिसमे पीली धातु के आभूषण 01 हार, 01 माथे का टीका, 01 मंगल सूत्र , 01 नाक की नथ, 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 जोडी कानों की झुमकी, 02 नाक के फूल व सफेद धातु के आभूषण 01 कमरबंद (तगडी), 01 जोडी पायल, 01 जोडी हथफूल, 01 चॉद, 06 जोडी बिछुए बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त फैसल पुत्र इरशाद निवासी उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग की धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त फैसल पुत्र इरशाद निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त फैसल नशे का आदी है। नशे की पूर्ति के लिये गली व मौहल्ले में घुमकर मकानों की रैकी करता है और मौका मिलते ही घर में घुसकर चोरी कर लेता है। अभियुक्त ने करीब 10-12 दिन पहले शहीद नगर में के एक मकान में घुसकर लकड़ी का लॉकर बॉक्स जिसमें पीली धातु व सफेद धातु के आभूषण रखे थे चोरी किया था। चोरी किये हुए सामान को अभियुक्त ने अपने घर में बने टांड (मचान) पर एक प्लास्टिक के कट्टे में छिपाकर रख दिया था अभियुक्त की निशानदेही पर जिसे बरामद किया गया। जिसे वादी के मकान से ही चोरी किया था। लॉकर में रखी नगदी को अभियुक्त फैसल नें खाने पीने में खर्च कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैसल पुत्र इरशाद निवासी ई-48/148 एमसीडी स्कूल के पीछे झुग्गी झोपडी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी, शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01 लकडी का लॉकर बॉक्स जिसमे पीली धातु के आभूषण 01 हार, 01 माथे का टीका, 01 मंगल सूत्र , 01 नाक की नथ, 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 जोडी कानों की झुमकी, 02 नाक के फूल व सफेद धातु के आभूषण 01 कमरबंद (तगडी), 01 जोडी पायल, 01 जोडी हथफूल, 01 चॉद, 06 जोडी बिछुए बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त फैसल के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।